क्षेत्रीय कार्यालय
दूरभाष : 05732-259039
फैक्स : 05732-259039
ई-मेल : robulandshahar@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Uttar Pradesh Pollution Control Board

F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर-203001

सन्दर्भ : 1626/NOC-971/2017 दिनांक : 12.07.17

सेवा मे,

मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0,
खसरा संख्या–282, ग्राम शेखूपुर,
तहसील व जनपद, बदायूँ।

विषय– पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोंण से पेट्रोल पम्प (भण्डारण क्षमता–20.0 किली0 पेट्रोल एवं 20.0 किली0 डीजल) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र, जो कि इस कार्यालय में निवेश मित्र योजनान्तर्गत दिनांक 22.06.2017 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ लेने का कष्ट करें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया तथा उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोंण से विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

(1) अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है–

(क) स्थल–	खसरा संख्या–282, ग्राम शेखूपुर, तहसील व जनपद, बदायूँ।
(ख) कच्चा माल–	पेट्रोल व डीजल।
(ग) उत्पाद–	पेट्रोल व डीजल भण्डारण (क्षमता–20.0 किली0 प्रत्येक)
(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा–	शून्य
(ङ) वैधता अवधि–	जारी होने की तिथि से एक वर्ष।
(च) प्रयुक्त ईधन एवं उसकी मात्रा–	डीजल 25 केवीए डी0जी0 सेट हेतु आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(1) भण्डारण स्थल से घरेलू बाहिश्राव के रूप में जनित लगभग 0.6 किली0/दिन के उत्प्रवाह को सेप्टिकटैंक/सोक पिट की स्थापना कर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर निस्तारित किया जाये।

(2) भण्डारण डिपो परिसर में किसी प्रकार की औद्योगिक प्रकिया संचालित नहीं की जायेगी।

(3) भण्डारण डिपो परिसर में चारो ओर पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जाये।

(4) भण्डारण डिपो की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा कोई भी किया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं की जाये।

(5) भण्डारण डिपो द्वारा अनलोडिंग एवं रिफलिंग हेतु तथा सहयोगी प्रकियाओं में किसी प्रकार के ईधन का दहन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार का वायु उत्सर्जन किया जायेगा।

(6) भण्डारण/उपयोग हेतु आकस्मिक दुर्घटना नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपकरण तथा प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था अवश्य की जाये तथा इस सम्बन्ध में कारखाना विभाग से अनुमोदित डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को एक माह में प्रेषित की जाये।

(7) पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित 25 केवीए के डी.जी सेट की स्थापना के साथ एकजास्ट पाइप की ऊँचाई छत के तल से लगभग 2.0 मीटर ऊँची रखी जाये तथा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर की स्थापना की जाये।

7780
14-12-17

राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
पो०बा० 24 गैरट पाकबाड़ा, मुरादाबाद

.........2/–

(8) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा ट्रायल प्रारम्भ करने से दो माह पूर्व सहमति (जल/वायु) हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये। बिना सहमति प्राप्त किये ट्रायल प्रारम्भ किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उल्लंघन है तथा अवैधानिक है।

(9) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र डीजल/पेट्रोल की लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु मान्य है तथा स्थल पर किसी भी प्रकार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उत्पादन हेतु मान्य नहीं है।

(10) पेट्रोल पम्प द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) जिलाधिकारी महोदय का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पत्र प्राप्ति के दो माह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(12) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उद्योग की स्थापना हेतु जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य है। उद्योग की स्थापना 1 वर्ष से पूर्व कभी भी कर लिये जाने पर उद्योग संचालन हेतु नियमानुसार सहमति जल एवं वायु प्राप्त किया जाना होगा। बिना सहमति प्राप्त किये ट्रायल प्रारम्भ किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उल्लंघन है तथा अवैधानिक है।

(13) उद्योग में परीक्षण, उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें, जब तक कि बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल/वायु सहमति प्राप्त करने हेतु उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से 2 माह पूर्व निर्धारित सहमति आवेदन पत्र को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा करा दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

(14) उद्योग में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना/संचालन इस प्रकार से किया जाये कि उससे जनित उत्प्रवाह/उत्सर्जन की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे तथा आसपास के पर्यावरण/आबादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। शिकायत प्राप्त होने एवं जॉच में उसकी पुष्टि होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जो आपको मान्य होगा।

कृपया ध्यान दें कि यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता के लिए ही मान्य है। इकाई में किसी प्रकार के परिवर्तन/विस्तारीकरण हेतु पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो में संशोधन किया जाये एवं निरस्त कर दिया जाये। उपरोक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 25.08.2017 तक प्रथम अनुपालन आख्या प्रेषित की जाय, अन्यथा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(जी0एस0 श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. प्रभारी अधिकारी–आ0अभि0, जिलाधिकारी कार्यालय, बदायूँ को उनके कार्यालय के पत्रांक:349(20)/ई0आर0के0/पेट्रो0/2017 दिनांक 26.04.2017 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

14-12-17

राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
पत्रा०सं० 24 गैरट पाकबड़ा, मुरादाबाद